आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
26/4/19	(see below)	

आदेश

26/4/19

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–03.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी शरद यादव, पिता–गुदड़ यादव, ग्राम–बबुरा, पो0–मकैता, थाना–धनकुण्ड, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110101081802951/2A वर्ष–2019 शरद यादव बनाम् अंचल अधिकारी, धोरैया है।

परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी, धोरैया के पत्रांक–246 दिनांक– 24.04.19 से प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि 26.04.2019 को परिवादी एवं अंचल अधिकारी, धोरैया सुनवाई में उपस्थित है। सुना गया।

परिवादी द्वारा आने–जाने हेतु रास्ता देने के लिए परिवाद किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नक्शा में कोई सरकारी रास्ता नहीं है। रैयती जमीन से पगदण्डी होकर आते–जाते है। आने–जाने में आवेदक को अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अस्थायी अतिक्रमण पूर्व में हटाकर रास्ता बहाल करा दिया गया है। आवेदक जिस भूमि होकर रास्ता की मांग की जा रही है, वह खाता सं0–33, खेसरा सं0–134, रकवा–0.14 डी0 है जिसपर दखल हारू पासवान का है। उक्त जमीन शंकर पासवान वगैरह द्वारा विक्रय पत्र द्वारा केवाला कर दिया गया है। केवालादार का इस जमीन पर मकानमय सहन पर दखल–कब्जा है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश में यह अंकित किया है कि :– "श्री शरद यादव के मकान वो रैयती भूमि के चारो ओर रैयती भूमि है। श्री शरद यादव के पूर्व के द्वारा जिस भूमि से आते–जाते रहे है उस रास्ता से उन्हें कोई रूकावट नहीं है। परिवादी द्वारा गैरमजरूआ जमीन में रास्ता की मांग की जा रही है वो सही प्रतीत नहीं हो रहा है। अपीलार्थी संतुष्ट हुए।"

उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि परिवादी को आने–जाने में कोई कठिनाई नहीं है। सी0एस0 खाता सं0–33, खेसरा सं0–134 के खतियान की प्रति एवं इस भूमि का विक्रय पत्र दस्तावेज की प्रति दाखिल किया गया है। खतियान में यह गैरमजरूआ भूमि है जिसका विक्रय किया गया है।

अतः वस्तुस्थिति के आलोक में अंचल अधिकारी, धोरैया को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त भूमि की जमाबंदी कायम की गयी है तो उसके रद्दीकरण का विधिवत् प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, बांका को भेजे। तद्आलोक में द्वितीय अपील निष्पादित किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

26/4/19

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।